रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1995/भाद्र 8, 1917
No. 156] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1995/BHADRA 8, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1995

फा० सं०-31/56/93-वि० क०.—दिनांक 4 जुलाई, 1994 के समसंख्यक सरकारी संकल्प के तहत कर सुधार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति की नियुक्ति की गयी थी ।

2. सरकार के अनुमोदन से अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट को राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति को प्रेषित किया जाए ।

3. समिति के विचारार्थ विषय होंगे :—
आर्थिक सुधार और स्टाम्प अधिनियम पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट की जांच करना और रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सुझावों को स्वीकार करने पर संस्तुति देना ।

4. समिति अपने कार्य के लिए अपनी कार्य-विधि तैयार करेगी और अपने अध्ययन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से वह सूचना मंगवा सकेगी जो कि आवश्यक होगी ।

5. समिति अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है ।

6. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान समिति को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा ।

7. समिति अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1995 तक प्रस्तुत करेगी ।

एन० एन० मुखर्जी, अवर सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th August, 1995

F. No. 31/56/93-ST.—A Committee of State Finance Ministers was appointed vide Government's resolution of even number dated 4th July, 1994 to study various aspects of tax reforms.

2. With the approval of the Government, it has now been decided to refer the report of the National Institute of Public Finance & Policy on Indian Stamp Act to the Committee of State Finance Ministers.

3. The terms of reference of the Committee would be:—

To examine the report of the National Institute of Public Finance & Policy on the Economic Reforms and Stamp Act and to give recommendations on the acceptance of the suggestions contained in the report.

4. The Committee will evolve its own procedures for its work and may for its study call for information as may be necessary from Central and State Governments/Union territories.

5. The Committee may coopt any other expert as a member to facilitate its work.

6. The NIPF & P will provide secretarial assistance to the Committee.

7. The Committee will submit its report by the 31st December, 1995.

N. N. Mookerjee, Addl. Secy. (Administration)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995